

न्यायालय- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

{समक्ष-अमित कुमार गुप्ता}

व्यवहार वाद क० 57 ए/2017

संस्थित दिनांक 15.03.11

1. श्रीमती सरस्वती आयु 60 साल पुत्री जगन्नाथ प्रसाद
पत्नी हरीमोहन जाति ब्रा०, निवासी ग्राम सिधवारी
तहसील गोहद जिला भिण्ड म०प्र०
2. श्रीमती भूरीबाई आयु 55 साल, पुत्री जगन्नाथ प्रसाद
पत्नी छोटेलाल, जाति ब्रा०, नि० वैध रमेश शर्मा का मकान
के पास उदईया नगरा तिराहा खेरागढ
तहसील खेरागढ जिला आगरा उ०प्र०वादीगण

विरुद्ध

1. सीताराम —फोट वारिस
विनोद कुमार पुत्र सीताराम प्रेमनारायण आयु 30 वर्ष
2. प्रेमनारायण आयु 62 साल पुत्र जगन्नाथ प्रसाद
निवासी ग्राम छरेंटा खरौआ परगना गोहद
जिला भिण्ड
3. सुनील आयु 38 साल
4. अनिल आयु 35 साल
पुत्रगण हरीसिंह, निवासी ग्राम बकालपुर
तहसील खेरागढ जिला आगरा
5. शिवचरण शर्मा आयु 78 साल फोट :-
अ-श्रीमती कस्तूरीबाई वेवा पत्नी शिवचरण आयु 65 साल
ब-ब्रजेश शर्मा आयु 40 साल
स-श्रीमती सुनीता आयु 37 साल
द-कमलकिशोर आयु 25 वर्ष
पुत्रगण शिवचरण शर्मा
6. बालमुकन्द शर्मा पुत्र जगन्नाथ प्रसाद आयु 55 साल
7. तनुज शर्मा आयु 16 साल ना०बा०
8. हर्ष शर्मा आयु 14 साल, नाबा० पुत्रगण बालमुकन्द शर्मा
सरपरस्त श्रीमती विजयलक्ष्मी शर्मा बेवा पत्नी बालमुकन्द शर्मा
निवासी गदाईपुरा बिरलानगर के पास ग्वालियर
9. राधेश्याम शर्मा पुत्र रामचरण शर्मा आयु 42 साल
जाति ब्रा०, निवासी नाना नगर गोला का मंदिर

भिण्ड रोड ग्वालियर

10. म०प्र० शासन द्वारा कलेक्टर भिण्ड म०प्र०प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश शर्मा।

प्रतिवादी क्र० 1 व 2 द्वारा अधिवक्ता श्री अशोक पचौरी।

प्रतिवादी क्र० 3, 6, 7 पूर्व से एकपक्षीय।

प्रति०क्र० 5 द्वारा अधिवक्ता श्री दाताराम बंसल।

प्रति०क्र० 5 अ लगायत स, 8, 9, 10 पूर्व से एकपक्षीय।

:::: निर्णय :::

(आज दिनांक— 28.02.18 को उद्घोषित)

यह प्रतिदावा वादी क्र० 1 व 2 ने वास्ते स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बावत् भूमि सर्वे क्र० 413 रकबा 1.39, 680 रकबा 0.04, 701 रकबा 0.41, 702 रकबा 0.08, 737 रकबा 0.20, 801 रकबा 1.20, 837 रकबा 0.07, 950 रकबा 0.54, 688 रकबा 0.11, 696 रकबा 0.55, 711 रकबा 0.34, 801 रकबा 0.72, 1004 रकबा 0.83, 1029 रकबा 1.49, 1076 रकबा 0.80 कुल किता 14 रकबा 8.05 स्थित मौजा छरेटा परगना गोहद जिला भिण्ड के $1/8 - 1/8$ भाग (जिसे अत्र पश्चात् "विवादित भूमि" कहा जायेगा), के संबंध में प्रस्तुत किया है।

2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी क्र० 1 व 2 ने मूलतः वादपत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें वादीगण क्र० 1 व 2 ने प्रतिदावा प्रस्तुत किया था। दौरान वाद वादीगण द्वारा अपना वाद का प्रत्याहरण कर लिया जिस कारण से वे पक्षान्तरित होकर प्रतिवादीगण हो गए और प्रति०क्र० 1 व 2 वादीगण हो गए। यह भी स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 भाई बहन हैं, उनके पिता स्व० जगन्नाथ प्रसाद थे जिनकी मृत्यु वर्ष 1988 में हो गयी तथा उनकी माँ स्व० रामप्यारी की मृत्यु वर्ष 1995 में हो गयी।

3. प्रतिदावे के सुसंगत अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि विवादित भूमि के पूर्व भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी स्व० जगन्नाथ प्रसाद पुत्र नेहने राम थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है तथा उनकी पत्नी स्व० रामप्यारी की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण उनकी पुत्रियां हैं तथा प्रतिवादीगण उनके पुत्र पुत्रियां एवं उनकी संतानें हैं। स्व० जगन्नाथ प्रसाद के 5 पुत्र सीताराम, प्रेमनारायण, बालमुकुन्द, शिवचरन तथा अशोक थे एवं तीन पुत्रियां सरस्वती, भूरीबाई तथा रामकली थीं। रामकली की मृत्यु हो गयी, उनके वारिसान सुनील व अनिल हैं। प्रति०क्र० 1 व 2 ने प्रति०क्र० 5 व 6 तथा मृतक अशोक ने ग्राम पंचायत खरौआ से मिलकर वादीगण बहनों को छिपाकर विवादित भूमि पर अपना $1/5 - 1/5$ भाग पर नामांतरण करा लिया है तथा षडयंत्र पूर्वक बंटवारा भी करा लिया है, जबकि वादीगण का विवादित भूमि में $1/8 - 1/8$ भाग पर भाईयों के समान ही हक व हिस्सा है। पंचायत के नामांतरण व बंटवारे की जानकारी होने पर ग्राम पंचायत के आदेश के विरुद्ध एस०डी०ओ० गोहद के समक्ष

अपील की जिसमें मृतक जगन्नाथ के स्थान पर किया गया नामांतरण व बंटवारा निरस्त किया गया। दौरान विचारण प्रतिवादी सीताराम वगैरह ने एसडीओ के आदेश के विरुद्ध आयुक्त एवं राजस्व मण्डल में अपील की थी, जिनके आदेश हो चुके हैं। उक्त आदेश प्रतिदावे के संबंध में वादीगण के मुकाबले शून्य व निष्प्रभावी होकर निरस्त योग्य हैं। वादीगण द्वारा अपने अंशों की घोषणा, प्रतिवादीगण द्वारा अवैधानिक हस्तक्षेप को निषेधित करने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है।

4. प्रतिदावे के जबाब में प्रति०क्र० 1 व 2 ने प्रतिदावे के अभिवचनों का खण्डन करते हुए उन्हें एवं प्रतिवादी क्र० 5 व 6 को अपने माता पिता से भूमि प्राप्त होने तथा वादीगण का एवं प्रति०क्र० 3 व 4 का उस पर कोई संबंध न होने का अभिवचन किया। मृतक जगन्नाथ के जीवनकाल में उनकी पुत्रियों ने अपना हक उक्त भूमि से छोड़ दिया और सोने चांदी के आभूषण प्राप्त किए थे, इस कारण से उनकी मृत्यु उपरांत 5 पुत्रों और पत्नी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ तथा पत्नी रामप्यारी की मृत्यु उपरांत पांचों भाईयों के नाम भूमि दर्ज हुई। ग्राम पंचायत में बंटवारा रजामंदी से हुआ लेकिन प्रति०क्र० 6 की नियत में बेईमानी आ गयी इस कारण से अपने मुनीम के नाम से समस्त झूठी कार्यवाही की है। इस प्रकार से वादीगण, प्रति०क्र० 3 व 4 एवं प्रति०क्र० 6 लगायत 9 आपस में दुरभि संधि किए हैं। वादीगण को भलीभांति राजस्व अभिलेख की जानकारी थी क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता के जीवनकाल में ही अपना हक भाईयों के प्रति छोड़ दिया था इस कारण से उनका कोई संबंध सरोकार नहीं हैं। वादीगण के पक्ष में कोई वाद कारण नहीं हैं। राजस्व मण्डल म०प्र० के द्वारा रिव्यू प्रकरण क्रमांक 4439-1-13 में पारित आदेश 06.01.17 विधिसम्मत होकर वादीगण के विरुद्ध पारित हुआ है जो कि उन पर बाध्यकारी है। प्रति०क्र० 6 की भूमि एवं प्रति०क्र० 5 की भूमि विक्रय की जा चुकी है। प्रति०क्र० 6 से मिलकर वाद प्रस्तुत किया है। प्रति०क्र० 5 के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया है और उनके विरुद्ध सहायता चाही है। इस कारण से प्रकरण निरस्त करने का निवेदन किया है।

5. उभय पक्षों के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा वाद प्रश्न निम्नानुसार विरचित किये गये, जिनका निष्कर्ष विवेचन उपरांत उनके समक्ष दिया जायेगा—

क्र०	वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या विवादित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित पैत्रिक संपत्ति है ?	“नासाबित”
2	क्या भूमि सर्वे क्र० 413 रकबा 1.39, 680 रकबा 0.04, 701 रकबा 0.41, 702 रकबा 0.08, 737 रकबा 0.20, 801 रकबा 1.20, 837 रकबा 0.07, 950 रकबा 0.54, 688 रकबा 0.11, 696 रकबा 0.55, 711 रकबा 0.34, 801 रकबा 0.72, 1004 रकबा 0.83, 1029 रकबा 1.49, 1076 रकबा 0.80 कुल किता 14 रकबा 8.05 स्थित मौजा छरेटा परगना गोहद जिला भिण्ड के 1/8 भाग पर वादी क्र० 1 व 1/8 भाग पर वादी क्र० 2 का स्वत्व है ?	“नासाबित”

- 3 क्या उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर वादीगण क० 1 व 2 का 2/8 भाग पर आधिपत्य है ? "नासाबित"
- 4 क्या उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर वादीगण क० 1 व 2 के 2/8 भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है ? "नासाबित"
- 5 क्या उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर वादी क० 1 व 2 के 2/8 भाग को प्रतिवादीगण अवैध रूप से हस्तांतरित करने को प्रयासरत हैं ? "नासाबित"
- 6 क्या काउंटर क्लेम में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है, यदि हाँ तो प्रभाव ? "नासाबित"
- 7 क्या काउंटर क्लेम का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क संदाय किया गया है ? "हाँ"
- 8 क्या ग्राम पंचायत खरौआ के प्र०क० 1/4-10-2009 में पारित आदेश दिनांक 04.10.2009 प्रतिवादीगण के मुकाबले शून्य हैं ? "नासाबित"
- 9 सहायता एवं व्यय ? "कण्डिका 16 व 17 अनुसार प्रतिदावा सव्यय निरस्त"

सकारण निष्कर्ष

6. प्रकरण में वादीगण की ओर से स्वयं वादी सरस्वती वा०सा० 1, शिवसिंह वा०सा० 2 को परीक्षित कराया गया है जबकि प्रतिवादीगण की ओर से प्रेमनारायण प्रति०सा० 1, रामनारायण प्रति०सा० 2 को परीक्षित कराया गया। दस्तावेजों में अधिकार अभिलेख व खसरा खतौनी की प्रमाणित प्रतियां उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं। प्रतिवादीगण की ओर से विक्रय पत्र दि० 14.09.2011 की प्रमाणित प्रति प्र०डी० 2 भी प्रस्तुत की गयी है।

// वाद प्रश्न क० 1 व 2 का निष्कर्ष //

7. तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु उक्त वादप्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है। प्रकरण में मुख्य रूप से इस तथ्य को स्वीकृत किया गया है कि वादीगण प्रतिवादीगण की सगी बहनें होकर स्व० जगन्नाथ एवं रामप्यारी की पुत्रियां हैं। विवादित भूमियां उनके पिता की होने के संबंध में अभिवचन किए हैं, जिसका आधार खसरा खतौनी बताई हैं, जिन्हें प्रदर्श ए-1 लगायत ए-3 के रूप में प्रस्तुत किया है। पिता के पास उक्त भूमियां किस प्रकार से आई इसके संबंध में वादीगण की ओर से कथन नहीं किया गया है। प्रति०क० 1 ने अपने अभिसाक्ष्य में कण्डिका 12 में कथन किया है कि पिताजी के नाम जो जमीन थी वह पुरानी थी, स्वतः कहते हैं कि कुछ जमीन ली थी, लेकिन उनके सामने कोई जमीन नहीं ली गयी। उक्त विवादित भूमियां वादीगण के पिता स्व० जगन्नाथ को किस प्रकार से प्राप्त हुई, यह तथ्य स्पष्ट नहीं हैं। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि मूल वादीगण सीताराम, शिवचरन का जन्म हिन्दू उत्तराधिकार

अधिनियम 1956 के पूर्व ही हो चुका था ऐसी दशा में उपरोक्त भूमियां संयुक्त परिवार की सहदायिकी संपत्ति के रूप में दर्शित हो रही हैं।

8. प्रतिवादीगण की ओर से मुख्य रूप से इस संबंध में तर्क प्रस्तुत किया है कि वादीगण द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के द्वारा अधिनियम की धारा 6 में संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी संपत्ति के संबंध में अपने पिता से 1/8 भाईयों के समान भाग का दावा किया है, जिसके संबंध में राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के आदेश दिनांक 06.01.17 में न्यायदृष्टांत प्रकाश व अन्य विरुद्ध फूलवती व अन्य निर्णय दिनांक 16.10.2015 एआईआर-2016 एस0सी0 769 : (2016) 2 एससीसी 36 : 2015 (4) एससीसीडी 2199 (एस0सी0) में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार उक्त संशोधन भूतलक्षी प्रभाव न रखने के कारण वादीगण का संयुक्त परिवार की सहदायिकी भूमि में कोई भी अधिकार न होने के संबंध में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है।

9. वादीगण की ओर से विवादित भूमि में उनका हक का आधार पिता के माध्यम से उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन उत्पन्न होने का लेख किया है। वादीगण ने 1/8 -1/8 भाग पर भाईयों के समान ही अपना स्वामित्व होना लेख किया है। उपरोक्त आस्थागत न्यायदृष्टांत "प्रकाश" में सहदायिक पिता की मृत्यु वर्ष 1988 में होने के तथ्य थे, इस मामले में भी वादीगण के पिता की मृत्यु 1988 में होना बताई गयी है। वादी सरस्वतीबाई प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 7 में कथन करती हैं कि उनके पिता की मृत्यु 28-29 साल पहले हो चुकी है, जबकि माँ की मृत्यु करीब 25 वर्ष पूर्व हो चुकी है। इस प्रकार से हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के लागू होने के पूर्व ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता स्व० जगन्नाथ प्रसाद की मृत्यु हो चुकी है। उपरोक्त आस्थागत न्यायदृष्टांत के कण्डिका 2 में मान० सर्वोच्च न्यायालय ने यह संप्रेक्षित किया "Connected matter have been entertained in this court mainly on account of the said legal issue particularly when there are said to the differing views of highcourts which makes it necessary that the issue is decided by this court. It is not necessary to go in to the facts of the individual case or the correctness of the findings recorded by the courts below on various other issues . It was made clear during the hearing that after deciding the legal issue, all other aspects may be decided separately in the light of the judgement of this court." इस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त न्यायदृष्टांत में संशोधन अधिनियम के भूतलक्षी प्रभाव के संबंध में निष्कर्ष की विधि विवेचना की है।

10. न्याय दृष्टांत "प्रकाश" के कण्डिका 23 में स्पष्ट रूप से संप्रेक्षण किया कि संशोधन अधिनियम दिनांक 09 सितंबर 2005 को जीवित सहदायिकों की जीवित पुत्रियों के लिए इस बात के होते हुए कि ऐसी पुत्रियां पैदा होनी है, लागू होने के संबंध में सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस प्रकार से उपरोक्त विधि के अनुसार वादीगण द्वारा संयुक्त परिवार की सहदायिकी विवादित संपत्ति में अपने 1/8 समान भाग के संबंध में जो आधार बताया है, वह हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम

2005 के भूतलक्षी प्रभाव न होने के कारण वादीगण के विवादित भूमि में 1/8 भाग के स्वत्व को प्रदान नहीं करती है।

11. वादीगण की साक्ष्य में सरस्वती वा०सा० 1 ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 8 में कथन किया है कि जगन्नाथ की मृत्यु के बाद उसके पांचों लड़कों के नाम भूमि नामांतरित हुई और उसी के अनुसार खेती करते रहे। यह भी स्वीकार किया कि फिर पांचों भाईयों का जमीन पर बंटवारा हुआ। इस प्रकार से पिता की मृत्यु सन 1988 के लगभग हो जाने के उपरांत प्रतिवादीगण का बंटवारा हो जाने का तथ्य स्वयं वादी ने साक्ष्य में स्वीकार किया है। उक्त स्वीकृति उस पर बाध्यकारी है और विबंध का प्रभाव उत्पन्न करती है। स्वीकृति के अतिरिक्त कथित पिता की मृत्यु के उपरांत भाईयों के विभाजन के संबंध में अन्य कोई तथ्य प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 की संशोधित धारा 6 के प्रथम परंतुक में उपबंधित है कि—इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात संपत्ति के किसी विभाजन या वसीयत व्ययन को, जो दिसंबर 2004 के 20 वे दिन के पूर्व किया गया है, सम्मिलित करके किसी व्ययन या अन्य संक्रामण को प्रभावित नहीं करेगी या अविधिमान्य नहीं बनाएगी।” इस प्रकरण में जहां पिता की मृत्यु के बाद वादी ने उसके भाईयों के पक्ष में नामांतरण हो जाने एवं बंटवारा कर लेने की बात को स्वीकार किया है, ऐसी दशा में विवादित भूमि के बंटवारा हो जाने के कारण उक्त परंतुक के प्रभाव से विवादित भूमि के संबंध में वादीगण का कोई भी अंश शेष नहीं रह जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादप्रश्न क्र० 1 व 2 का निष्कर्ष “नासाबित” के रूप में दिया जाता है।

// वादप्रश्न क्रमांक 3, 4, 5 व 8 का निष्कर्ष //

12. प्रकरण में जहां वादीगण विवादित भूमि के 1/8 भाग पर अपना प्रथक से आधिपत्य होने का तथ्य अभिवचन एवं साक्ष्य में बताते हैं, वहीं प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 8 में पिता की मृत्यु के बाद भाईयों का बंटवारा हो जाने का कथन करते हैं। कण्डिका 13 में स्वीकार करती हैं कि प्रेमनारायण एवं सीताराम के हिस्से पर खेती काशत हो रही है और यह भी स्वीकार करती है कि बंटवारे में 16 बीघा जमीन उन्हें मिली थी। यह बताने में अस्मर्थ हैं कि उनकी खेती कौनसे सर्वे नंबर पर होती है। साक्षी अपने अभिवचनों में कृषि अन्य व्यक्ति शिवसिंह से कराए जाने का कोई तथ्य लेख नहीं करती, किन्तु कण्डिका 13 में उसके आधिपत्य की भूमि पर शिवसिंह द्वारा खेती करने का कथन करती हैं। शिवसिंह वा०सा० 2 मुख्य परीक्षण में वादीगण की भूमि पर उनकी ओर से खेती करने का कोई तथ्य लेख नहीं कराता। यह साक्षी भी कण्डिका 3 में बताने में अस्मर्थ है कि कौनसे नंबर की कृषि भूमि पर खेती करता है। जहां एक ओर वादीगण ने विवादित भूमि के बंटवारा भाईयों के मध्य हो जाने की स्वीकृति की है ऐसे में साक्षीगण द्वारा विनिर्दिष्ट भाग पर कृषि कार्य के संबंध में कथन संभव था, किन्तु वादीगण ने ऐसा प्रमाणित नहीं किया है कि किस प्रथक भाग पर उनकी खेती होती है।

13. जहां प्रकरण में वादीगण द्वारा अपने अभिवचन एवं साक्ष्य में प्रतिवादीगण के पक्ष में नामांतरण आदेश करा लिए जाने के आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध हस्तक्षेप किए जाने का तथ्य लेख किया है, इस संबंध में जहां स्वयं वादी के अभिसाक्ष्य में उसके पिता की मृत्यु के उपरांत भाईयों के मध्य बंटवारा हो जाने तथा भाई बालमुकुन्द द्वारा एक भूमि प्रति०क० 9 राधेश्याम शर्मा को विक्रय किए जाने जिसमें भी उसके द्वारा कोई आपत्ति न किए जाने का तथ्य बताया है। ऐसे में पूर्व में वादीगण के भाईयों के मध्य हुए बंटवारे के आधार पर अभिकथित ग्राम पंचायत के नामांतरण दिनांक 04.10. 2009 से वादीगण के विवादित भूमि के संबंध में अवैधानिक हस्तक्षेप की श्रेणी में नहीं आता है। यहां उल्लेखनीय हैं कि वादीगण ने अभिकथित नामांतरण आदेश, आयुक्त के आदेश तथा राजस्व मण्डल म०प्र० के आदेश दिनांक 06.01.2017 को चुनौती अवश्य दी है, किन्तु उक्त आदेशों की कोई प्रतिलिपि प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की है इस कारण से उनके द्वारा आलोच्य आदेश की वैधानिकता का परीक्षण न्यायालय द्वारा किया जाना संभव नहीं है। जहां तक प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि के विक्रय हेतु प्रयासरत होने का तथ्य लेख किया है इस संबंध में कोई ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जो कि प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि के भाग को विक्रय किए जाने हेतु प्रयासरत होने का तथ्य दर्शाती हो। ऐसी दशा में वादप्रश्न क्रमांक 3, 4, 5 व 8 का निष्कर्ष "नासाबित" के रूप में दिया जाता है।

// वादप्रश्न क्रमांक 6 का निष्कर्ष //

14. प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से यह आपत्ति ली गयी है कि वादीगण ने प्रतिदावे में उनके भाईयों बालमुकुन्द एवं शिवचरन के वारिसानों को पक्षकार नहीं बनाया है इस कारण से प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष विद्यमान है। प्रकरण में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि प्रतिदावा वादपत्र को चुनौती देते हुए प्रस्तुत किया गया था। वादीगण ने प्रथक से प्रतिदावे का उन्वान लेख करते हुए ऐसा स्पष्ट नहीं किया था कि किन पक्षकारों के विरुद्ध प्रतिदावा प्रस्तुत किया है, किन्तु वाद के प्रचलन के दौरान प्रस्तुत किए जाने से विवादित संपत्ति में हित रखने वाले पक्षकारों के संबंध में प्रतिदावा में आपत्ति ली जा सकती थी। बालमुकुन्द एवं शिवचरन मूल दावे में पक्षकार थे ऐसी दशा में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन संबंधी प्रश्न नकारात्मक रूप से निराकृत करते हुए निष्कर्ष "नासाबित" के रूप में दिया जाता है।

// वादप्रश्न क्रमांक 7 का निष्कर्ष //

15. प्रतिदावे के अपर्याप्त मूल्यांकन एवं अपर्याप्त न्यायशुल्क सहित प्रस्तुत किए जाने के संबंध में प्रतिवादीगण ने आपत्ति की है। विवादित भूमि कृषि भूमियां हैं जिनका मूल्यांकन भूराजस्व के 20 गुने के आधार पर करते हुए वादीगण ने भी मूल्यांकन करते हुए अपने अंश की घोषणा का दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण ने यद्यपि मूल्यांकन एवं न्याय शुल्क हेतु आपत्ति की है, किन्तु कृषि भूमि के अंश की घोषणा हेतु किए गए मूल्यांकन के संबंध में प्रतिवादीगण ने स्पष्ट नहीं किया कि किस प्रकार से

मूल्यांकन अपर्याप्त है। ऐसी दशा में किया गया मूल्यांकन युक्तियुक्त तथा प्रस्तुत निश्चित न्यायशुल्क प्रकरण में उचित प्रतीत होती है। अतः वादप्रश्न क्र० 7 का निष्कर्ष "हाँ" के रूप में दिया जाता है।

सहायता एवं व्यय

16. उपरोक्त विवेचन के आधार एवं तथ्यों व साक्ष्य की अधिप्रबलता के आधार पर वादीगण विवादित भूमि सर्वे क्र० 413 रकबा 1.39, 680 रकबा 0.04, 701 रकबा 0.41, 702 रकबा 0.08, 737 रकबा 0.20, 801 रकबा 1.20, 837 रकबा 0.07, 950 रकबा 0.54, 688 रकबा 0.11, 696 रकबा 0.55, 711 रकबा 0.34, 801 रकबा 0.72, 1004 रकबा 0.83, 1029 रकबा 1.49, 1076 रकबा 0.80 कुल कित्ता 14 रकबा 8.05 स्थित मौजा छरेटा परगना गोहद जिला भिण्ड के संबंध में प्रतिदावा प्रमाणित करने में असफल रही हैं। अतः प्रतिदावा सव्यय निरस्त किया जाता है।

17. उभय पक्षों का वाद व्यय वादीगण वहन करेंगी। अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार, जो भी कम हो, आज़ाप्ति में जोड़ी जाये।

तदनुसार आज़ाप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित व दिनांकित
कर उद्घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित
किया गया।

(Amit kumar Gupta)
Civil judge Class-1
Gohad distt.Bhind (M.P.)

(Amit kumar Gupta)
Civil judge Class-1
Gohad distt.Bhind (M.P.)